IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

# "भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका"

डॉ. गौरी सिंह परते

सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान

शासकीय महाविद्यालय मेंहदवानी जिला-डिण्डौरी (म.प्र.)

सारांश

भारत एक विकासशील देश है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली व्यवस्था में स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भारत में महिलाओं को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गये हैं, वैश्वीकरण के आगमन के साथ राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी उन्हें उन समस्याओं और चुनौतियों की एक कुशल समझ हासिल करने में सक्षम बनाती है, जिन्हें देश को प्रगति की ओर ले जाने के कार्य करेगा। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष बाद भी महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व पुरूषों की तुलना में बहुत ही कम है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में महिलाओं की दशा सुधारनें के लिए अनेक प्रयास किए गए और कई योजनाएं भी बनाई गई, परन्तु कल्याणकारी योजनाओं का वांछित प्रभाव भारतीय महिलाओं पर समान रूप से नहीं पड़ा, तथा उन सबका लाभ महिलाओं तक नहीं पहुॅच पाया। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं की सामान्य स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ। इसके अलावा महिलाएं हिंसा और अत्याचारों का सिकार भी बनती रही है।

**शब्द कोश:-** लोकतंत्र, राजनीतिक भागीदारी, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका, भारत में महिला मतदाताओं की स्थिति, सक्रिय राजनीति में महिलाओं की स्थिति, भारतीय संसद में महिलाओं की भागीदारी।

**प्रस्तावना:-** भारत में महिलाओं की राजनीतिक भूमिका का अर्थ है, कि निर्वाचन में मतदाता एवं प्रत्याशी के रूप में सहभागिता से लेकर सत्ता में महिलाओं की भागीदारी से है। मताधिकार की प्रक्रिया से निर्णय-निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। जो कि यही राजनीतिक सहभागिता है। किन्तु वर्तमान में लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण के कारण राजनीतिक सहभागिता मतदान एवं राजनीतिक सक्रियता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक सत्ता में भागीदारी से भी जुड़ गयी हैं। सत्ता में भागीदारी होने का अर्थ है कि शक्ति प्राप्त करना और वैध शक्ति ही वह प्रमुख प्रक्रिया है जो समाज की अन्य व्यस्थाओं एवं संरचनाओं को निर्देशित संचालित एवं प्रभावित करती है। इसलिए राजनीति में महिलाओं की भूमिका एक महत्वपूर्ण मांग बन गई है।

राजनीतिक प्रशासन आज महिला एवं पुरूष दोनांे को उन्नति तथा उत्थान के समान अवसर प्रदान करती है। लोकतंत्र की भावना के अनुरूप सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं के विकास तथा कल्याण के लिए आवश्यक समानता, स्वतंत्रता एवं निर्णयकारी संस्थाओं में भागीदारी हेतु अनेक राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गये हैं। आज विकसित एवं विकासशील सभी देशों में महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, एवं राजनीतिक स्थिति में सुधार करने तथा उनकी स्थिति को सदृढ़ बनाने के प्रयास हर स्थान अैार स्तर पर किये जा रहे हैं। परिणामस्वरूप आप सभी स्थान एवं क्षेत्रों में महिलाओं के समुचित विकास के लिए अनुकूल वातावरण विकसित हो रहा है। महिलाओं को प्रशासन एवं राजनीति में समानता का अधिकार प्रदान करने में अग्रणी प्रयास करने वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रॉस, ब्रिटेन, डेनमार्क, नार्वे, फिनलैंड, जैसे देशों में साथ ही आज रूस जैसे साम्यवादी देश ईरान जैसे कट्टरपंथी राष्ट्र तथा अनेक अल्प विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में महिलाओं को राजनीतिक दृष्टि से शक्ति सम्पन्न बनाया जा रहा है। तथा महिलाए अपनी प्रभावशाली भूमिका से वैश्विक राजनीति में अपनी अहम उपस्थिति दर्ज कराने में सफल हो रही है।‘‘

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी:- दुनिया के इतिहास में राजनीति एक दुर्जेय कार्य रही है। राजनीति ने लोगों का शोषण किया है, धर्म की रक्षा और लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के नाम पर खून बहाया है। इसलिए राजनीति न केवल आम व्यक्तियों की बल्कि उन पुरुषों की भी अखाड़ा रही है जो कठोर और क्रूर व्यवहार करते हैं। राजनीति पुरुषों की शारीरिक शक्ति और इससे उत्पन्न होने वाले अहंकार के साथ सक्रिय रही है। इसलिए राजनीति में तुलनात्मक रूप से नरम स्वभाव की महिलाओं की भागीदारी पूरी दुनिया में कम रही है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में एक अपवाद रही है। लेकिन आधुनिक युग में राजशाही के पतन और लोकतंत्र के विकास के साथ, जब सेना और पुलिस बल के आधार पर राजनीति का संचालन कम होने लगा और जनता की राय को विशेष महत्व मिला, धीरे-धीरे आम जनता की भागीदारी में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ने लगी। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के साथ, राजनीति की प्रकृति बदल रही है और जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक अनूठा अनुभव है। लेकिन यह विचार करने योग्य है कि क्या राजनीतिक अधिकारों पर बैठे पुरुषों का यह समूह दुनिया के राजनीतिक माहौल को तनाव-मुक्त बनाने के लिए राजनीति में हिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विवेक को अपनाएगा।‘‘

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका:- भारत के इतिहास में आधुनिक काल राजनीति में महिलाओं की भागीदारी से अधिक महत्वपूर्ण है। रानी लक्ष्मीबाई, मैडम बीकाजी कामा, कस्तूरबा, अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी आदि ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वाधीनता की राजनीति में ंदिनी सत्पंथी, मोहसिना किदवई, गिरिजा व्यास, सुषमा स्वराज, मायावती, वसुंधरा राजे, शीला दीक्षित, ममता बनर्जी, रेणुका चौधरी, सोनिया गांधी आदि ने सक्रियता दिखाई। इंदिरा गांधी ने 16 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया। स्वतंत्रता के तुरंत बाद गठित देश के संविधान में, महिलाओं को न केवल पुरुषों के रूप में वोट देने के लिए समान अधिकार दिए गए हैं, बल्कि पंचायत से संसद तक जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव भी लड़ना है।

इस प्रकार राजनीति में महिला भागीदारी का संख्यात्मक प्रतिनिधित्व बढ़ा है। महिलाओं के लिए सार्वजनिक प्रतिनिधित्व कानून द्वारा एक तिहाई सदस्यता के प्रतिनिधित्व के कारण समाज में पुरुषों और महिलाओं के समानता का विचार तेजी से बदल रहा है। महिलाओं में नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है। खुद के प्रति उनकी छवि में सुधार हुआ है, वे अपनी आँखों में उग आए हैं। समाज में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बल का उपयोग आदि के विरोध में जागरूकता बढ़ी है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। महिला मतदाताओं का सम्मान बढ़ा है, लेकिन विडंबना यह है कि संसद और विधानसभाओं में एक

तिहाई महिला भागीदारी बढ़ाने का विधेयक 1998 से लंबित है, जो पुरुष-प्रधान समाज के अन्यायपूर्ण फैसले का कड़वा मामला है।

स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय राजनीति में महिलाओं की स्थितिः भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली केंद्र सरकार के पास 20 कैबिनेट मंत्रालयों में केवल एक महिला (राजकुमारी अमृत कौर) थी, जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार दिया गया था। एक भी महिला को लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में जगह नहीं दी गई। यहां तक कि इंदिरा गांधी की 5वीं, 6वी, 9वीं कैबिनेट में एक भी महिला केंद्रीय मंत्री नहीं थी। राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में केवल एक महिला (मोहसिना किदवई) को शामिल किया गया था।''

16 वीं लोकसभा में 61 महिला उम्मीदवार जीती हैं। यह अब तक का उच्चतम है। 543 सदस्यीय लोकसभा में महिला उम्मीदवारों की संख्या 2009 में 58 से अधिक है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार, यह देश के इतिहास में लोकसभा में पहुंचने वाली महिलाओं की सबसे अधिक संख्या है। 2009 में, 58 महिलाएं पहुंची। लोकसभा "प्रमुख महिला उम्मीदवार जो संसद का मार्ग प्रशस्त करने में कामयाब रहीं उनमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (रायबरेली), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज (विदिशा), उमा भारती (झाँसी, मेनका गाँधी (पीलीभीत), पूनम महाजन (मुंबई नॉर्थ सेंट्रल), किरण खेर (चंडीगढ), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की सुप्रिया सुले (बारामती), समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता दिपाल यादव (कन्नौज)। गौरतलब है कि सोनिया, सुषमा, उमा, मेनका, सुप्रिया, डिंपल को पहले संसद जाने का मौका मिला है, जबकि पूनम, किरण के लिए यह पहला कार्यकाल होगा। इस चुनाव में कई प्रमुख महिला उम्मीदवार हार गईं, जिनमें कांग्रेस नेता अंबिका सोनी (अंबाला), कृष्णा तीरथ (उत्तर पश्चिम दिल्ली), गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़), लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार (सासाराम), बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (सरन), उनकी बेटी मीसा भारती (पाटलिपुत्र)। पश्चिम बंगाल से सबसे अधिक 13 महिला सांसद संसद के निचले सदन में पहुंचने में कामयाब रही, जबकि उत्तर प्रदेश की 11 महिलाओं को इस बार संसद जाने का मौका मिला। 2009 में, 58 महिलाएं संसद में पहुंचीं, जबकि 2004 में 45 और 1999 में 49 महिलाएं जीतीं। लोकसभा में सबसे कम महिलाएं 1957 में देखी गई, जब उनकी संख्या केवल 22 थी।''

भारत में महिला मतदाताओं की स्थिति:- 1980 और 2014 के बीच, महिला मतदाताओं की संख्या में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि 1980 में महिला मतदाताओं की संख्या 51 प्रतिशत थी, 2014 में यह बढ़कर 66 प्रतिशत हो गई। 1990 में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ने लगी और 2014 के लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा महिला मतदान हुआ। दिल्ली के आनंद विहार में रहने वाली 40 वर्षीय प्रियमिदा कहती हैं कि उनके घर के सभी सदस्य एक ही राजनीतिक पार्टी को वोट देते हैं और वोट देने से पहले हमें बताया जाता है कि हमें किस पार्टी को वोट देना है। जब उनसे इसका कारण पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हम राजनीति से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं, इसलिए वोट देने का फैसला कौन करता है, यह हमारे घर के लोग तय करते हैं।''

कविता कृष्णन कहती हैं कि महिलाओं को घर से बाहर निकलना और वोट देना बहुत जरूरी है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सरकार और राजनीतिक दल अपने घोषणापत्र में महिलाओं को केंद्र में रखें।''

वह कहती हैं, "महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करना महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही महिलाओं के कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है, ताकि उनके अधिकारों को शामिल किया जा सके ताकि महिलाओं को भी मतदान में रुचि हो। उन्हें महसूस करना चाहिए कि उन्हें सरकार बनाने में योगदान भी महत्वपूर्ण है।''

सक्रिय राजनीति में महिलाओं की स्थितिः- सक्रिय राजनीति में यह केवल महिलाओं की बुरी स्थिति के लिए जिम्मेदार राजनीतिक दल नहीं हैं, बल्कि हमारा समाज भी है, जो राजनीति में महिलाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

इसी तरह, ममता बनर्जी, मायावती, सुषमा स्वराज की उन सभी महिला राजनेताओं को ऐसी टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। उसकी कोई भी विफलता उसके स्त्री होने के कोण से उजागर होती है, जबकि एक विफलता का सामना एक पुरुष राजनीतिज्ञ को भी करना पड़ता है। राजनीति में महिलाओं के कमजोर होने के बारे में तर्क- महिला उम्मीदवारों के पास जीतने की बहुत कम संभावना है। महिलाएं राजनीति में किसी पुरुष को अपने घरेलू काम में समय नहीं दे पाती हैं। महिलाओं की राजनीतिक समझ कम होती है, इसलिए वे जीतने पर भी महिला विभाग, बच्चों के विभाग जैसे क्षेत्रों तक ही सीमित रहती हैं।"

1. जहां तक महिला उम्मीदवारों का संबंध है, पिछले तीन लोकसभा चुनावों में जीतने वाली महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक है। 2014 के चुनाव में महिला उम्मीदवार की सफलता दर 9 प्रतिशत थी जबकि पुरुषों की संख्या 6 प्रतिशत थी। भाजपा युवा नेता अमृता भूषण का कहना है कि महिलाएं चुनाव नहीं जीतती हैं, यह गलत है। जब आप चुनाव लड़ते हैं, तो पार्टी के बारे में बात होती है, यह एजेंडे के बारे में है और व्यक्तिगत उम्मीदवार की बात है। स्त्री या पुरुष का नहीं। चुनावों में महिलाओं का जीत प्रतिशत भी पुरुषों की तुलना में अधिक देखा जाता है। मुझे लगता है कि सही जगह पर महिलाओं के नाम रखने के लिए शायद बहुत कम लोग हैं। उनका कहना है कि इस बार महिलाओं को भाजपा में अधिक सीटें मिलने की उम्मीद है।"

2. राजनीति में महिलाओं को कम समय देने के तर्क पर, राजद के विधायक इजाया यादव का कहना है कि एक महिला उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में पुरुष उम्मीदवार की तुलना में कड़ी मेहनत करनी होगी। पुरुष उम्मीदवार का घर के अंदर नहीं ले जाता है। एक महिला उम्मीदवार भी बाहर से मिलती है और लोगों के घर के अंदर महिलाओं से मिलती है।

3. राजनीति में महिलाओं के कम प्रतिशत के कारण, महिलाएं भी अक्सर मंत्रिमंडलों के विभाजन से अनभिज्ञ हैं। उन्हें आमतौर पर वित्त, गृह, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र आवंटित नहीं किए जाते है, इसके बजाय उन्हें महिलाओं, बच्चों, चंगुल जैसे विभागों को सौंप दिया जाता है।"

सन् 1940 तक स्त्रियों की एकान्तता तथा उनके निम्न स्तर के लिए हिन्दु धर्म, जाति, व्यवस्था, संयुक्त परिवार, इस्लामी शासन तथा ब्रिटिश उपनिवेशवाद उत्तरदायी है। वस्तुतः इस काल में स्त्रियों की विभिन्न क्षेत्रों में निर्योग्यताएं बनी रही। भारतीयों द्वारा समय-समय पर समाज सुधार के विशेष प्रयास किये गये, किन्तु अंग्रेजों का समाज सुधार में सहयोग नहीं मिला। महिलाओं को शोषित तथा पीड़ित रखना ही उनके हित में था। अतः इस समग्र पृष्ठभूमि में भारत की महिलाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकता समझी गई।"

किसी भी स्वस्थ्य एवं विकसित समाज के निर्माण एवं विकास में महिला एवं पुरूष दोनों की परस्पर सहभागिता एवं साझेदारी अत्यन्त आवश्यक है। यह बात नैसर्गिक सिद्धान्त और पर्यावरणीय सन्तुलन की दृष्टि से भी नितान्त आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य भी है। वैसे भी मानव समाज के सन्तुलित एवं सर्वांगीण विकास में महिलाओं की भागीदारी और योगदान कभी भी कम नहीं रहा है, परन्तु यह एक विडम्बना ही रही है कि समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा शायद ही कभी मिला हो। हमारे देश की कुल आबादी का 50 प्रतिशत भाग महिलाओं का है

फिर भी उन्हें समाज में वह दर्जा प्राप्त नही है जो पुरूषों को है। यह विडम्बना केवल भारत की ही नही बल्कि विश्व के सभी राष्ट्रों की है।''

राजनीतिक चेतना के विकास की यात्रा महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता और सक्रियता की गति के साथ समान्तर रूप से जुड़ी हुई है। महिलाओं का राजनीतिक मुद्दों और गतिविधियों के प्रति जागरूकता का बढ़ाना उनके प्रति अपनी संवेदनशीलता को विभिन्न संगठनों निकायों और इकाइयों के माध्यम से सामाजिक पटल पर उजागर करना एवं समस्याओं के निराकरण के लिए राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से आगे आना है। भारत में राजनीतिक चेतना और सामाजिक पुनर्जागरण का विकास साथ-साथ हुआ है। भारतीय नारी जो सदियों से पुरूष प्रधान समाज की ही हुई व्यवस्थाओं और पैतनोन्मुख समाज की स्थितियों में रहने के कारण पिछलें वर्गांे में गिनी जाती थी, प्रायः प्रत्येक सुधार आन्दोलन का आधार बनी, उसे विदेशी दासता, पुरूष समाज की दास्ता एवं सामाजिक रूढ़ियों के विरूद्ध एक साथ तीन-तीन मोर्चों पर लड़ना पड़ा। इसलिए उसके मुक्ति संघर्ष कों सामाजिक व राजनीतिक स्तरों पर अलग-अलग करके नही एक साथ ही देखना होगा।''

आज के इस चैतन्य युग में जहॉ मानवता शांति का प्रश्रय चाहती है महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एक आवश्यकता बन गई है।'' राजनीतिक परिदृश्य एव ंनिर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी उनके सबलीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन तो है लेकिन इसके लिए आवश्यक आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का भी निर्माण करना होगा।''

लोकतंत्र सही अर्थों में तभी सफल है जब राजनीतिक दलों, सांसदो और सरकारों के स्तर पर राष्ट्रीय निर्णय पुरूष व स्त्रियों द्वारा समान रूप से लिए जाये।'' आजादी के बाद सत्ता परिवर्तन के साथ ही महिलाओं की राजनीतिक स्थिति में भी प्रतिनिधित्व संख्या के लिहाज से थोड़ा-बहुत बढ़ गया। अगर हम गॉधी युगीन सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अरूणा आसफ अली, डॉ सुशीला नायर आदि की तुलना आज की मायावती, शीला दीक्षित, रावडी देवी, जयललिता आदि से करे तो महिला राजनीतिज्ञों के प्रभाव तथा उनके महत्व में लगातार गिरावट को साफ समझा जा सकता है।''

**निष्कर्ष:**- महिलाओं को राजनीतिक जीवन का पूर्णत ज्ञान और अनुभव तब ही होगा जब उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया जायेगा। क्योंकि जब भी उन्हे अवसर दिया गया है तब उन्होने अवसर मिलने पर अपनी दक्षता का परिचय दिया है और समाज में अपनी भूमिका का पूर्ण दृढ़ता के साथ निर्वाह किया है। लेकिन भारतीय समाज ने ही महिलाओं के हितों को अनदेखा किया है। जिसके कारण से आज भी कई समस्याओं का सामना कर रही है तथा महिलाओं को उनके महिलाओं को यथोचित स्थान दिया जाए। शासन के सभी अंगों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढाया जाएं क्योकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संसद के द्वारा ही नियम कानून बनाने का अधिकार होता है और वही से न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए नीतियों का निर्धारण किया जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि संसद में महिलाओं का न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आधुनिक सामाजिक व्यवस्था और उसमें महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए जरूरी है कि संसद में महिलाओं प्रतिनिधित्व बढ़ाना बहुत मुश्किल है क्योंकि पिछले 70 सालों से अधिक समय तक उनके प्रतिनिधित्व बहुत कम हैं इसलिए राजनीति में महिलाओं की सक्रियता ही महिला उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। ये प्रयास महिला उत्थान के लिए ये प्रयास मात्र कानून बना देने से ही सफल नही हो सकते इन्हे सफल बनाने के लिए गम्भीर प्रयास करने की आवश्यकता है अतः महिलाओं को भी स्वयं जागरूक एवं एकजुट होने से अपने अधिकारों की प्राप्ति होगी। अतः महिलाओं को दृढ संकल्प के साथ समस्याओं का हल निकालना होगा।

## संदर्भ ग्रंथः-


1. गुप्ता नीलम, "भारत में महिलाओं के राजनीतिक अधिकार एवं नेतृत्व के आयाम" पृष्ठ-157।
2. .राजस्थान पत्रिका, 8 मार्च-2016।
3. चतुर्वेदी, इनाक्षी एवं अग्रवाल, सीमा "महिला नेतृत्व एवं राजनीतिक सहभागिता", अविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर 2013, पृ0-15।
4. अग्रवाल, चन्द्रमोहन (2003) "भारतीय नारीः विविध आयाम" इंडियन पब्लिशर्स डिस्ट्री ब्यूटर्स, दिल्ली पृष्ठ संख्या-208।
5. लवानिया, एम0एम0 (2012), "भारतीय महिलाओं का समाज शास्त्र", रिसर्च पब्लिकेंसन, जयपुर, पृष्ठ सं0-3।
6. लवानिया पूर्वोक्त, पृ0 सं0-04।
7. अग्रवाल, चन्द्र मोहन, पूर्वोक्त
8. सिंह राजवाला, सिहं मधुबाला, "भारत में महिलाए"ं, अविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2006 पृ0सं0-1-04
9. लबानिया एम0एम0 "भारतीयमहिलाओं का समाज शास्त्र", रिसर्च पब्लिकेंसन, जयपुर, 2005 पृष्ठ सं0-143।
10. आर0 पी0 तिवारी व डी0 पी0 शुक्ला 1999 पृ0 सं0-1-12
11. सिंह आनन्द प्रकाश, "भारत में महिला सशक्तीकरणः नीति एवं नियोजन" पृ0 सं0-09।
12. राजजादा डॉ0 अजीत,"महिला उत्पीडन, समस्या और समाधान", मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, बानगंगा।
13. लता डॉ0 मंजू, पूर्व उर्ध्दत, पृ0 सं0 -144।
14. ब्होरा आशारानी, "भारतीय नारीःदशा और दिशा", नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1983, पृ0 सं0- 11।
15. रस्तोंगी दया प्रकाश, जैन रीनू, "भारतीय इतिहास में नारी साधना" प्रकाशन रस्तोगी स्ट्रीट, सुभाष बाजार मेरठ, 2005 पृ0 सं0 - 55।
16. बारबरा नैलसन एण्ड नजमा चौधरी, "वूमैन एण्ड पॉलिटिक्स", पृ0 सं0-14।
17. अंसारी, एम0 ए0 "राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय नारी", ज्योति प्रकाशन, जयपुर 2002, पृ0 सं0-157।